

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय--आदेश

श्रीगती गुरजीत कौर राहगांवि खोरालाडखानी, शाहपुरा जयपुर पदनाम व्याख्याता(राज.विज्ञान) जन्मतिथि 18.01.1968 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक 20.10.2021 से 10.12.2021 तक 52 दिवस की विदेश यात्रा केलिफोर्निया (यू.एस.ए.) जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश रवीकृत करवाये जाने के पश्चात् अपने यात्रा पर प्रथान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में रवीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य रथान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। रवीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में रवीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र रवीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश रवीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे:-
 - (अ) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
 - (ब) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
 - (स) कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
 - (द) कार्मि के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकारण लापित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त रवीकृति अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा द्वितीय यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन रवीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।



सत्यमेव जयते


 (सौरभ स्वामी)
 आई.ए.एस.
 निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17/344; दिनांक:- 08/10/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार रवीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
 माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर